निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1947 (श0)

(सं0 पटना 1558) पटना, बुधवार, 24 सितम्बर 2025

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
23 सितम्बर 2025

एस० ओ० 163 दिनांक–24/09/2025 बिहार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम परामर्शदात्री पर्षद की अनुशंसा के आलोक में बिहार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–5 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा(1) के खण्ड (बी) के अधीन तथा बिहार के राज्यपाल पर्यवेक्षीय/लिपिकीय कामगारों की न्यूनतम मजदूरी को कुशल मजदूर/श्रमिक के समान करने की घोषणा करते है। यह अधिसूचना दिनांक–01.10.2025 से प्रभावी होगी।

(संख्या–4/M.W–40–14/2025 श्र0सं0–54)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

दिनांक 23 सितम्बर 2025

एस0ओ0 164 दिनांक–24/09/2025 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या–4/एम0डब्लू0–40–14/2025 श्र0सं0–55)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

23rd September 2025

S.O. 163 Date-24/09/2025 In pursuance of the recommendation of Bihar Minimum Wages Advisory Board in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) read with sub-section (2) of section-5 of the said Act and under clause (b) of sub-section (1) of section-5 of the said Act, the Governor of Bihar is pleased to make the Minimum wages of Supervisor/Clerical category of Workers shall be fixed equal to that of skilled labourer. It shall come into force the date-01-10-2025.

(No.-4/M.W-40-14/2025 Sh.No.-54)
By order of Bihar Governor,
Rajeev Ranjan,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1558-571+100-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1947 (श0)

(सं0 पटना 1558) पटना, बुधवार, 24 सितम्बर 2025

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
23 सितम्बर 2025

एस० ओ० 163 दिनांक–24/09/2025 बिहार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम परामर्शदात्री पर्षद की अनुशंसा के आलोक में बिहार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–5 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा(1) के खण्ड (बी) के अधीन तथा बिहार के राज्यपाल पर्यवेक्षीय/लिपिकीय कामगारों की न्यूनतम मजदूरी को कुशल मजदूर/श्रमिक के समान करने की घोषणा करते है। यह अधिसूचना दिनांक–01.10.2025 से प्रभावी होगी।

(संख्या–4/M.W–40–14/2025 श्र0सं0–54)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

दिनांक 23 सितम्बर 2025

एस0ओ0 164 दिनांक–24/09/2025 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या–4/एम0डब्लू0–40–14/2025 श्र0सं0–55)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

23rd September 2025

S.O. 163 Date-24/09/2025 In pursuance of the recommendation of Bihar Minimum Wages Advisory Board in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) read with sub-section (2) of section-5 of the said Act and under clause (b) of sub-section (1) of section-5 of the said Act, the Governor of Bihar is pleased to make the Minimum wages of Supervisor/Clerical category of Workers shall be fixed equal to that of skilled labourer. It shall come into force the date-01-10-2025.

(No.-4/M.W-40-14/2025 Sh.No.-54)
By order of Bihar Governor,
Rajeev Ranjan,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1558-571+100-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in